



## ई - पोलीस पत्रिका

दिनांक १९/१२/२०२४

अनु.क्र. २३१

(अमरावती शहर पोलीसांची २०२४ ची उद्दिष्टे)

- नागरिकांशी मित्रत्वाचे संबध.
- उच्च मनोबल युक्त व तणाव मुक्त पोलीसदल.
- महीला, मुले व जेष्ठ नागरिकांचीसुरक्षा.
- जातीयसलोखा वाढविणे.
- संघटितगुन्हेगारी आणि आतंकवादी यांचे विरुद्ध कठोर कारवाई.
- रस्त्यावरील गुन्हेगारीवर नियंत्रण/सुरक्षा.
- पोलीसकोठडीतगुन्हे घडु न देणे.
- आरोपी पोलीसांचे ताब्यातुन पळुन जाऊ नयेत.
- " सुरक्षित व सुखकर अमरावती " हा आमचा संकल्प आम्ही व्यापक लोकसहभागातुन साध्य करु.

## भाग-१

### पदोन्नती/बदली/प्रशिक्षण/रजा

#### रजा

१.पोआअ/आस्था-५/प्रसुती रजा/१०४२९/२०२४ अमरावती शहर दिनांक ०४/१२/२०२४

#### आदेश

खालील नमुद महिला पोलीस अंमलदार यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे आधारे महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ७४ तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अरजा-१४०९/प्र.क्रं.८/०९/सेवा-६, दिनांक २४/८/२००९ व दि.१५/१/२०१६ चे तरतुदीनुसार १८० दिवस प्रसुती रजा, रजा वेतनासह प्रसुतीच्या संभाव्य तारखेपासुन अथवा प्रसुतीकरीता रजेवर सुटल्याचे तारखेपासुन मंजुर करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | पदनाम/ब.नं./<br>नाव                  | नेमणुक                  | नियुक्ती दिनांक | प्रसुतीची<br>वेळ | प्रसुतीची संभाव्य<br>तारीख | अपत्यांची<br>संख्या |
|--------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| १      | मपोशि/३६३,<br>अश्विनी सानप<br>(वारे) | पो.स्टे.<br>नागपुरी गेट | दि.२७/०६/२०१६   | पहिली            | दि.१८/०१/२०२५              | -                   |

वरिल नमुद महिला पोलीस अंमलदार यांना रजेवर सोडल्याचा व हजर झाल्याचा दिनांक या कार्यालयास कळवावा.

२.पोआअ/आस्था-५/अ.र.रोखीकरण/९४९२/२०२४ अमरावती शहर दिनांक २९/१०/२०२४

#### आदेश

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.वेतन-२०२३/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दिनांक २८.०६.२०२३ अन्वये दिनांक ३० जुन रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या/होणा-या पोलीस अंमलदारांना लगतच्या ०१ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चिती करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील दिनांक ३० जुन रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या खालील नमुद पोलीस अंमलदार यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक लगतच्या ०१ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ मंजुर करण्यात आली आहे.त्यांना दिनांक १जुलै रोजी मंजूर केलेल्या वेतनवाढीनुसार वित्त विभाग निर्णय क्र.अरजा/१९२०/प्र.क्र-१२/सेवा-६,दिनांक२४/०५/२०१९ अन्वये मधील तरतुदीप्रमाणे एकुण शिल्लक अर्जित रजेनुसार रोखीकरणाच्या रकमेचे फरकाची रक्कम अदा करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.

| पदनाम                  |         |               | मुळ वेतन   |                       |                                       | ग्रेड पे   |  |                          |
|------------------------|---------|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|
| सहायक पोलीस उपनिरीक्षक |         |               | रुपये २००-२०२००                                    |                       |                                       | रुपये २८००   |  |                          |
| पोलीस हवालदार          |         |               | रुपये २००-२०२००                                    |                       |                                       | रुपये २५००   |  |                          |
| पोलीस नाईक             |         |               | रुपये २००-२०२००                                    |                       |                                       | रुपये २४००   |  |                          |
| अ.क्र.                 | पदनाम   | बक्कल क्रमांक | नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त पोलीस अंमलदाराचे नाव | सेवानिवृत्तीचा दिनांक | दि.३० जुन रोजी रोजीचे वेतन व ग्रेट पे | दि.०१ जुलै रोजीचे काल्पनिक देय मुळ वेतन व ग्रेड पे | दि.०१ जुलै रोजीचे काल्पनिक एकुण देय वेतन | अखेरची शिल्लक अर्जित रजा |
| १                      | २       | ३             | ४  | ५                     | ६                                     | ७  | ८  | ९                        |
| १                      | सपोउपनि | २१२           | दादाराव गुलाबराव खांडेकर                           | ३०.०६.२०१०            | १२१५० +२८००                           | १२६००/- +२८००                                      | १५४००/-                                  | ३००                      |

सदरचा खर्च @ PENSION OF OTHER RETIRMENT BENEFITS २०७१०५९८-११५ ENCASHMENT BENEFITS लेखा शिर्षातुन भागविण्यात यावा.

३.पोआअ/आस्था-५/अ.र.रोखीकरण/१०४४९/२०२४ अमरावती शहर दिनांक ०४/१२/२०२४

### आदेश

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.वेतन-२०२३/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दिनांक २८.०६.२०२३ अन्वये दिनांक ३० जुन रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या/होणा-या पोलीस अंमलदारांना लगतच्या ०१ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चिती करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील दिनांक ३० जुन रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या खालील नमूद पोलीस अंमलदार यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक लगतच्या ०१ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करण्यात आली आहे.त्यांना दिनांक १जुलै रोजी मंजूर केलेल्या वेतनवाढीनुसार वित्त विभाग निर्णय क्र.अरजा/१९२०/प्र.क्र-१२/सेवा-६,दिनांक २४/०५/२०१९ अन्वये मधील तरतुदीप्रमाणे एकुण शिल्लक अर्जित रजेनुसार रोखीकरणाच्या रकमेचे फरकाची रक्कम अदा करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.

| पदनाम                  |       |               | मुळ वेतन   |                       |                                       | ग्रेड पे   |  |                          |
|------------------------|-------|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|
| सहायक पोलीस उपनिरीक्षक |       |               | रुपये २००-२०२००                                    |                       |                                       | रुपये २८००   |  |                          |
| पोलीस हवालदार          |       |               | रुपये २००-२०२००                                    |                       |                                       | रुपये २५००   |  |                          |
| पोलीस नाईक             |       |               | रुपये २००-२०२००                                    |                       |                                       | रुपये २४००   |  |                          |
| अ.क्र.                 | पदनाम | बक्कल क्रमांक | नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त पोलीस अंमलदाराचे नाव | सेवानिवृत्तीचा दिनांक | दि.३० जुन रोजी रोजीचे वेतन व ग्रेट पे | दि.०१ जुलै रोजीचे काल्पनिक देय मुळ वेतन व ग्रेड पे | दि.०१ जुलै रोजीचे काल्पनिक एकुण देय वेतन | अखेरची शिल्लक अर्जित रजा |
|                        |       |               |  |                       |                                       |  |  |                          |

|   |         |      |                              |            |                |                  |         |     |
|---|---------|------|------------------------------|------------|----------------|------------------|---------|-----|
| १ | २       | ३    | ४                            | ५          | ६              | ७                | ८       | ९   |
| १ | सपोउपनि | १०२  | हरिगोविंद<br>श्रीरामजी पोजगे | ३०.०६.२००७ | १३०२०<br>+२८०० | १३५००/-<br>+२८०० | १६३००/- | ३०० |
| ५ | सपोउपनि | १४८५ | बंडु दामोजी बरडे             | ३०/०६/२०२३ | ४६८००/-        | ४८२००/-          | ४८२००/- | ३०० |

सदरचा खर्च @ PENSION OF OTHER RETIRMENT BENEFITS २०७१०५९८-११५  
ENCASHMENT BENEFITS लेखा शिर्षातुन भागविण्यात यावा.

## भाग-२

### शिक्षा/निलंबन/पुन्हा स्थापना/बक्षिस/सेवानिवृत्त/मयत/नाव कमीकरण

#### बक्षिस

१.पोआअ/आस्था-८/ बक्षिस/१९३२/२०२४ अमरावती शहर दिनांक १९/११/२०२४

#### आदेश

शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एडब्ल्युडी-०११५/प्र.क्र.२६८/पोल-१ दिनांक २९/११/२०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीच्या अधिन राहून मी पोलीस उप-आयुक्त (मुख्या.) अमरावती शहर, खालील नमुद पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना त्यांचे उत्कृष्ट कामगिरी बाबत बक्षिस मंजूर करीत आहे .

| अ. क्र. | पदनाम/ब.क्र./नाव           | नेमणुक      | विवरण                      | बक्षिस |        |
|---------|----------------------------|-------------|----------------------------|--------|--------|
|         |                            |             |                            | बक्षिस | सी नोट |
| १       | पो.नि.श्री गोरखनाथ जाधव    | गुन्हे शाखा |                            | १५००   | सि नोट |
| २       | सपोनि/मनिष वाकोडे          | गुन्हे शाखा |                            | १५००   | सि नोट |
| ३       | पोउपनि/प्रकाश झोपाटे       | गुन्हे शाखा |                            | १५००   | सि नोट |
| ४       | पोहवा/३४२राजुआप्पा बाहेनहर | गुन्हे शाखा |                            | १०००   | जिएसटि |
| ५       | पोहवा/१०९६ फिरोज खान       | गुन्हे शाखा | दि.०३.०३.२०२४ रोजी         | १०००   | जिएसटि |
| ६       | पोहवा/१२२२ सतीश देशमुख     | गुन्हे शाखा | पो.स्टे.फ्रेजरपुरा येथे    | १०००   | जिएसटि |
| ७       | पोना/१३६१दिनेश नांदे       | गुन्हे शाखा | अप.क्र.१४०/२४              | १०००   | जिएसटि |
| ८       | पोशि/४३२ विकास गुडदे       | गुन्हे शाखा | कलम३९२,३४भा.द.वि.व         | १०००   | जिएसटि |
| ९       | पोशि/४१६ निवृत्ती काकड     | गुन्हे शाखा | अप.क्र.६०/२४,कलम३९२,       | १०००   | जिएसटि |
| १०      | पोशि/४०६ सुरज चव्हान       | गुन्हे शाखा | ३४भा.द.वि.पो.स्टे.राजापेट  | १०००   | जिएसटि |
| ११      | पोशि/१२९७ निखील गेडाम      | गुन्हे शाखा | गुन्हा उघडकीस आणुन         | १०००   | जिएसटि |
| १२      | पोशि/१५५० अमोल मनोहर       | गुन्हे शाखा | योग्यकार्यवाही केल्याबाबत. | १०००   | जिएसटि |
| १३      | चापोशि/१९३ अमोल बहाददरपुरे | गुन्हे शाखा |                            | १०००   | जिएसटि |
| १४      | चापोशि/६२३ किशोर खेंगरे    | गुन्हे शाखा |                            | १०००   | जिएसटि |
| १५      | चापोशि/१८०७ भुषण पदमणे     | गुन्हे शाखा |                            | १०००   | जिएसटि |
| १६      | चापोशि/६०६ रोशन माहोरे     | गुन्हे शाखा |                            | १०००   | जिएसटि |
| १७      | पो.नि.श्री गोरखनाथ जाधव    | गुन्हे शाखा | दि.०१.०३.२०२४ रोजी         | १०००   | सि नोट |
| १८      | सपोनि/मनिष वाकोडे          | गुन्हे शाखा | पो.स्टे.नांदगाव पेठ येथे   | १०००   | सि नोट |
| १९      | पोउपनि/प्रकाश झोपाटे       | गुन्हे शाखा | अप.क्र.७१/२४ कलम           | १०००   | सि नोट |

|             |                            |             |   |                                 |                 |
|-------------|----------------------------|-------------|---|---------------------------------|-----------------|
| २०          | पोहवा/३४२राजुआप्पा बाहेनहर | गुन्हे शाखा | ३९२,३९५,३४<br>भा.द.वि.सहकलम<br>४/२५आर्म अँक्ट अन्वये<br>गुन्हा उघडकीस आणुन<br>योग्य कार्यवाही केलेबाबत. | ५००                             | जिएसटि          |
| २१          | पोहवा/१०९६ फिरोज खान       | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| २२          | पोहवा/१२२२ सतीश देशमुख     | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| २३          | पोना/१३६१दिनेश नांदे       | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| २४          | पोशि/४३२ विकास गुडदे       | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| २५          | पोशि/४१६ निवृत्ती काकड     | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| २६          | पोशि/४०६ सुरज चव्हान       | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| २७          | पोशि/१२९७ निखील गेडाम      | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| २८          | पोशि/१५५० अमोल मनोहर       | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| २९          | चापोशि/१९३ अमोल बहादरपुरे  | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| ३०          | चापोशि/६२३ किशोर खेंगरे    | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| ३१          | चापोशि/१८०७ भुषण पदमणे     | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| ३२          | चापोशि/६०६ रोशन माहोरे     | गुन्हे शाखा |   | ५००                             | जिएसटि          |
| <b>एकुण</b> |                            |             |   | <b>सत्ताविस हजार रुपये फक्त</b> | <b>२७,०००/-</b> |

प्रमाणित करण्यांत येते की, शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एडब्ल्युडी-०११५/प्र.क्र.२६८/पोल-१ दिनांक २९/११/२०१८ मुंबई पोलीस नियमावली १९५९ चा भाग - १ नियम ३०० मधील विहित तरतुदीनुसार रोख रक्कम मंजूर करण्यांत आली आहे. सदरचा खर्च - २०५५०१६८-१०९-१- जिल्हा पोलीस - ५- बक्षिस- या लेखा शिर्षाखालील मंजूर अनुदानामधून भागविण्यांत यावे.

### भाग-३

#### वेतन/संरचना/वेतन निश्चिती/वार्षिक वेतनवाढ/संकीर्ण

#### वेतन निश्चिती

१.पोआअ/आस्था-३/सु.वे.नि./पोहवा-११४६/१०९५९/२०२४ अमरावती शहर दिनांक १८/१२/२०२४

#### आदेश

पोहवा/११४६, श्यामराव दशरथजी मोरे, नेमणूक पो.स्टे.फ्रेजरपुरा, अमरावती शहर हे दिनांक ३१.०५.२०२५ रोजी नियत वयोमाननुसार सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्या अनुषंगाने त्यांचे सेवापट वेतन पडताळणी पथक अमरावती येथे वेतन पडताळणी करीता पाठविले असता त्यांना दिनांक २१.१२.२००६ ते ३१.१२.२०१५ पर्यंत कालावधीची रक्कम वेतनात अतिप्रदान झाल्याने शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक ०५ मे २०१० नुसार सुधारीत वेतननिश्चिती करून अतिप्रदान झालेल्या रकमेची वसुली करून त्याबाबतचे विवरणपत्र सेवापटात जोडणे बाबतचा आक्षेप लावून सेवापट परत करण्यात आले आहे.

त्या अनुषंगाने पोहवा/११४६, श्यामराव दशरथजी मोरे, यांची शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र. वेपुर-१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, दि.२२.०४.२००९, शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक ०५ मे २०१० मधील तरतुदीनुसार लीलप्रमाणे सुधारीत वेतन निश्चिती करण्यात येत आहे.

| पदनाम       | वेतनश्रेणी      | ग्रेड वेतन |
|-------------|-----------------|------------|
| पोलीस शिपाई | रु.५२००-२०२००/- | रु.२०००/-  |
| पोलीस नाईक  | रु.५२००-२०२००/- | रु.२४००/-  |

| विद्यमान वेतन व दिनांक |   |            | सुधारीत देय वेतन व दिनांक |   |   |
|------------------------|---|------------|---------------------------|---|---|
| वेतनवाढीचा दिनांक      | विद्यमान वेतन बँड/वेतन श्रेणी मधील वेतन   |            | वेतनवाढीचा दिनांक         | सुधारीत वेतन बँड/वेतन श्रेणी मधील वेतन  |   |
|                        | वेतन बँड  | ग्रेड वेतन |                           | वेतन बँड  | ग्रेड वेतन  |
| ०१/०१/२००६             | रु.७५४०/-   | रु.२०००/-  | ०१/०१/२००६                | रु.७५४०/-   | रु.२०००/-   |
| ०१/०७/२००६             | रु.७५४०+२९०=७८३०/-  | रु.२०००/-  | ०१/०७/२००६                | रु.७५४०+२९०=७८३०/-  | रु.२०००/-   |
| २१/१२/२००६             | रु.७८३०+३१०=८१४०/-<br>सुआप्रयो अंतर्गत पहिला लाभ मंजूर करण्यात आल्याने नियम ११(१) (अ) नुसार वेतननिश्चिती            | रु.२४००/-  | २१/१२/२००६                | रु.७८३०+३००=८१३०/-<br>सुआप्रयो अंतर्गत पहिला लाभ मंजूर करण्यात आल्याने नियम ११(१) (अ) नुसार वेतननिश्चिती            | रु.२४००/-   |
| ०१/०७/२००७             | रु.८१४०+३२०=८४६०/-  | रु.२४००/-  | ०१/०७/२००७                | रु.८१३०+३१०=८४४०/-<br>रु.८१३०+३२०=८४५०/-  | रु.२२००/-<br>(प्रत्यक्ष)<br>रु.२४००/-<br>(काल्पनिक) |
| ०१/०७/२००८             | रु.८४६०+३३०=८७९०/-  | रु.२४००/-  | ०१/०७/२००८                | रु.८४४०+३२०=८७६०/-<br>रु.८४५०+३३०=८७८०/-  | रु.२२००/-<br>(प्रत्यक्ष)<br>रु.२४००/-<br>(काल्पनिक) |
| ०१/०७/२००९             | रु.८७९०+३४०=९१३०/-  | रु.२४००/-  | ०१/०७/२००९                | रु.८७६०+३३०=९०९०/-<br>रु.८७८०+३४०=९१२०/-  | रु.२२००/-<br>(प्रत्यक्ष)<br>रु.२४००/-<br>(काल्पनिक) |
| ३१/०८/२००९             | रु.९१३०/-<br>शा.नि.वित्त विभाग<br>दि.३१.०८.२००९ मधील<br>तरतुदीनुसार प्रत्यक्ष देय वेतन.                             | रु.२४००/-  | ३१/०८/२००९                | रु.९१२०/-<br>शा.नि.वित्त विभाग<br>दि.३१.०८.२००९ मधील<br>तरतुदीनुसार प्रत्यक्ष देय वेतन.                             | रु.२४००/-   |
| ०१/०७/२०१०             | रु.९१३०+३५०=९४८०/-  | रु.२४००/-  | ०१/०७/२०१०                | रु.९१२०+३५०=९४७०/-  | रु.२४००/-   |
| ०१/०७/२०११             | रु.९४८०+३६०=९८४०/-  | रु.२४००/-  | ०१/०७/२०११                | रु.९४७०+३६०=९८३०/-  | रु.२४००/-   |
| २४/०४/२०१२             | रु.९८४०/-<br>पोलीस नाईक नियमीत पदोन्नती परंतु कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ घेतल्याने पुन्हा वेतननिश्चितीची आवश्यकता नाही. | रु.२४००/-  | २४/०४/२०१२                | रु.९८३०/-<br>पोलीस नाईक नियमीत पदोन्नती परंतु कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ घेतल्याने पुन्हा वेतननिश्चितीची आवश्यकता नाही. | रु.२४००/-   |
| ०१/०७/२०१२             | रु.९८४०+३७०=१०२१०/-   | रु.२४००/-  | ०१/०७/२०१२                | रु.९८३०+३७०=१०२००/-   | रु.२४००/-   |
| ०१/०७/२०१३             | रु.१०२१०+३८०=१०५९०/-  | रु.२४००/-  | ०१/०७/२०१३                | रु.१०२००+३८०=१०५८०/-  | रु.२४००/-   |
| ०१/०७/२०१४             | रु.१०५९०+३९०=१०९८०/-  | रु.२४००/-  | ०१/०७/२०१४                | रु.१०५८०+३९०=१०९७०/-  | रु.२४००/-   |
| ०१/०७/२०१५             | रु.१०९८०+४१०=११३९०/-  | रु.२४००/-  | ०१/०७/२०१५                | रु.१०९७०+४१०=११३८०/-  | रु.२४००/-   |

प्रस्तुत प्रकरणी करण्यात आलेल्या सुधारीत वेतनिश्चितीमुळे पोहवा/११४६, श्यामराव दशरथजी मोरे, यांना दिनांक २१.१२.२००६ ते ३१.१२.२०१५ या कालावधीत वेतनात अतिप्रदान झालेल्या रकमेची वसुली करून त्याबाबतचे विवरणपत्र आस्थापना शाखेत सेवापटामध्ये जोडण्यास द्यावे. दिनांक ०१.०१.२०१६ पासून पुढील वेतनात बदल होत नसल्याने पुढील वेतननिश्चितीची आवश्यकता नाही तसेच सदरची वेतन निश्चिती ही वेतन पडताळणी पथक यांचे अंतिम तपासणीचे अधीन राहून करण्यात आली असून भविष्यात रकमेचे अतिप्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अतिप्रदानाची रक्कम त्यांचे कडून वसूल करण्यात येईल

(कल्पना बारवकर)  
पोलीस उपायुक्त (मुख्या.)  
अमरावती शहर

प्रति,

पत्रव्यहार शाखा/सेवापट नोंदणी लिपीक/सीसीटीएनएस